

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 57 /उ०शि०नि०मं०क०/2026-27,

दिनांक:- 29/05/2026

वाद योजित तिथि -03.09.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-25.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 25.05.2026

परिवाद संख्या:- 26/2025-26

श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड, मथ्याणा.....परिवादी।

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री के०एन०मिश्रा उपखण्ड अधिकारी ऊखीमठ उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

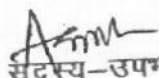
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

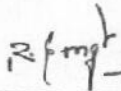
निर्णय

1. परिवार विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विपिन चन्द्र तिवारी, इण्डस टॉवर लिमिटेड, वि०वि०खण्ड रुद्रप्रयाग ने दिनांक 03.09.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि, विभाग द्वारा प्रार्थी के जून माह 2025 के विद्युत बिल 35.80 किलोवाट की असामान्य अधिकतम मांग दर्ज की गई है, और विद्युत बिल में 3,916 रु० (तीन हजार नौ सौ सोलह रुपये) का अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

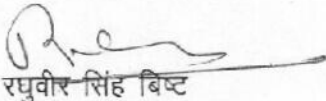
पत्रांक:- 57 / उ०शि०नि०म०क० / 2026-27,

दिनांक:- 29 / 05 / 2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 30.09.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड ऊखीमठ उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा मंच से उपभोक्ता की MRI रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए अगली तिथि की मांग की गई।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.12.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अजेन्द्र जी उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड सुमाड़ी उपस्थित हुए। विपक्षी विभाग द्वारा मंच से जवाब दावा हेतु मौखिक रूप से अगली तिथि की मांग की गई।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी एवं विपक्षी विभाग उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक 19.02.2026 को नियत की गई।
5. परिवादी द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 एवं 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 25.05.2026 तक जवाबदावा एवं परिवाद की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
6. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड ऊखीमठ उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन कर पाया गया कि परिवादी का स्वीकृत विद्युत भार 18 किलोवाट है एवं विद्युत खपत 35.878 किलोवाट है, एवं परिवादी के संयोजन का विद्युत बिल MRI रिपोर्ट के अनुसार सही है। जिसे परिवादी ने भी स्वीकार किया है, तथा मंच से परिवाद के निस्तारण की याचना की गई।

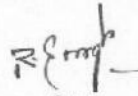
आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद पक्षकारों की आपसी सहमति होने पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



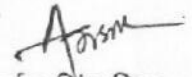
रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 58 / उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2026-27,

दिनांक:- 29/05/2026

वाद योजित तिथि -21.11.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-25.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 25.05.2026

परिवाद संख्या:- 33 / 2025-26

श्री मातबर सिंह निकट- केशवाज बॉयज स्कूल वार्ड न०-06, गौचरपरिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

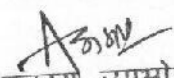
उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

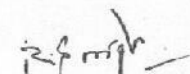
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

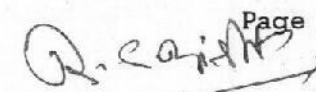
श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री मातबर सिंह निकट- केशवाज बॉयज स्कूल वार्ड न०-06, गौचर चमोली, वि०वि०खण्ड गैरसँण द्वारा दिनांक 21.11.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

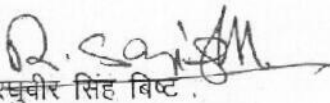
पत्रांक:- 58 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2026-27.

दिनांक:- 29/05/2026

- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री अजय रावत (कार्यालय सहायक) वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा अवगत किया गया कि परिवादी के निवास पर न कोई किरायेदार है ना ही कोई व्यवसाय चल रहा है, जिससे अधिक बिल आना सम्भव हो, माह नवम्बर 2025 का बिल त्रुटिपूर्ण है तथा वर्तमान समय में जो बिल परिवादी को दिया जा रहा है वह सही है। मंच द्वारा उक्त मामले में विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग परिवादी के मीटर की M.R.I रिपोर्ट 15 दिनों के अन्तर्गत मंच में प्रस्तुत करें। एवं परिवादी को आदेशित किया गया कि वह विवादित बिल को छोड़कर अपने वर्तमान के बिलों का भुगतान करता रहे।
- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा परिवादी की सहमति पर निर्णय दिया गया कि परिवादी वर्तमान में मीटर रीडिंग के अनुसार बिल भुगतान नियमित करता रहेगा, एवं विवादित बिल का भुगतान मीटर परीक्षण के उपरान्त निर्णय पारित कर किया जाएगा।
- मंच द्वारा परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा आदेशित किया गया कि विपक्षी विभाग मीटर की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई दिनांक 25.05.2026 को मंच में प्रस्तुत करें।
- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि विपक्षी विभाग परिवादी के विवादित विद्युत बिल को निरस्त करते हुए पूर्व के तीन बिलिंग साइकिल के अनुसार संशोधित कर परिवादी को प्रेषित करें।

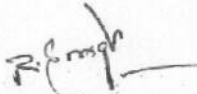
आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के विवादित विद्युत बिल को उससे पूर्व के तीन बिलिंग साइकिल के अनुसार संशोधित कर एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रेषित करें। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



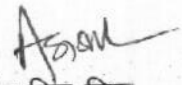
रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 59 / उ०शि०नि०म०क०र्ण० / 2026-27,

दिनांक:- 29/05/2026

वाद योजित तिथि -15.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-25.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 25.05.2026

परिवाद संख्या:- 50 / 2026-27

श्रीमती संग्रामी देवी w/o स्व० रूपचन्द्र टम्टा, ग्राम-बमोथ पो०-शान्तिसदन (गौचर).....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

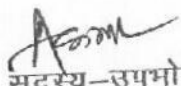
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

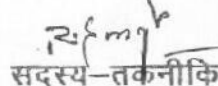
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती संग्रामी देवी w/o स्व० रूपचन्द्र टम्टा, ग्राम-बमोथ पो०-शान्तिसदन (गौचर) वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 15.12.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी द्वारा 5 वर्ष पूर्व घरेलू कनेक्शन लगाया गया था जिस पर विभाग द्वारा कोई भी बिल नहीं दिया गया तथा माह सितम्बर 2025 में पहली बार उपभोक्ता को 95930रु० (पिचानबैं हजार नौ



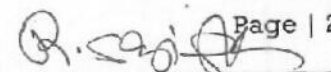
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



Page | 2

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 59 /उ०शि०नि०म०कर्ण० / 2026-27,

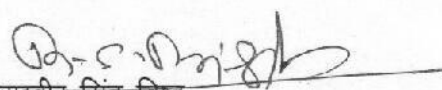
दिनांक:- 29/05/2026

सौ तीस रुपये) का विद्युत बिल दिया गया है जो कि अत्यधिक है, परिवादी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

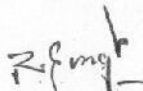
- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवाद के निस्तारण हेतु पक्षकार अगली सुनवाई तिथि दिनांक 19.02.2026 को पेश हो।
- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विभाग द्वारा पूर्व में अपने कार्यालय पत्रांक 30/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक 16/02/2026 द्वारा मंच में जवाबदावा प्रेषित किया गया। परिवादी के अनुपस्थित होने के कारण कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवादी को साक्ष्य हेतु एक मौका दिया जाय, परिवाद की अगली सुनवाई दिनांक 18.04.2026 को सुनिश्चित की गई।
- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि०वि०खण्ड गैरसैण उपस्थित हुए, मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि परिवाद के निस्तारण हेतु पक्षकार अगली सुनवाई तिथि दिनांक 25.05.2026 को पेश हो।
- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत बिल नियमानुसार दिया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

आदेश

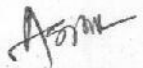
मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुराज सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 60 / उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2026-27,

दिनांक:- 29/05/2026

वाद योजित तिथि -25.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-25.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 25.05.2026

परिवाद संख्या:- 19/2026-27

श्री जसवन्त सिंह, ग्राम-पुनगाँव पो०-किरसाल,.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण,.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

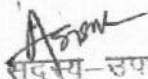
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

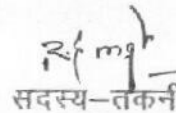
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

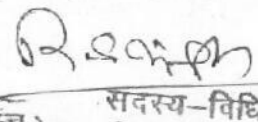
1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री जसवन्त सिंह, ग्राम-पुनगाँव पो०-किरसाल वि०वि०खण्ड गैरसँण ने दिनांक 25.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता का कनेक्शन न० GS16201310029 है, जिस पर नाम परिवर्तित करने हेतु विभाग में समस्त दस्तावेज जमा किये गये हैं किन्तु अभी तक नाम परिवर्तित नहीं हुआ है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

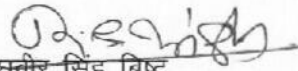
पत्रांक:- 60 /उ०शि०नि०मं०कर्ण०/2026-27,

दिनांक:- 29 05 /2026

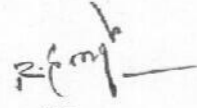
2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी, वि०वि० उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 157/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक 02/05/2026 द्वारा मंच को अवगत किया कि परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

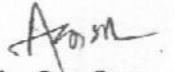
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 61 / उ०शि०नि०म०क०र्ण० / 2026-27.

दिनांक:- 29 / 05 / 2026

वाद योजित तिथि -25.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-25.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 25.05.2026

परिवाद संख्या:- 22 / 2026-27

श्री पृथ्वी सिंह रावत, ग्राम-तोली पो०-देवल,.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

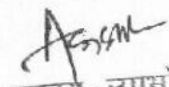
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

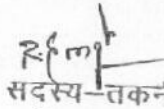
निर्णय

1. परिवाद विद्युत ट्रांसफार्मर के सन्दर्भ में है। श्री पृथ्वी सिंह रावत, ग्राम-तोली पो०-देवल, वि०वि०खण्ड गैरसँण ने दिनांक 25.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता के ग्राम देवल में विद्युत ट्रांसफार्मर से बार-बार लाइट जाती है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को कई दिन तक बिना लाइट के रहना पड़ता है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



Page | 2

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

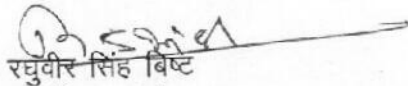
पत्रांक:- 61 /उ०शि०नि०म०क०/2026-27.

दिनांक:- 29/05/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी, वि०वि० उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 160/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक 02/05/2026 द्वारा मंच को अवगत किया कि परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

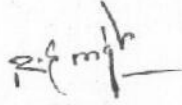
आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


रघुवीर सिंह बिष्ट

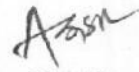
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह

(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


अर्जुन सिंह बिष्ट

(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 62 / उ०शि०नि०म०क०र्ण० / 2026-27,

दिनांक:- 29 / 05 / 2026

वाद योजित तिथि -15.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-25.05.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि- 25.05.2026

परिवाद संख्या:- 02 / 2026-27

श्री वैशाखू लाल, ग्राम-जस्यारा पो०-नैनीसैण,.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण,.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

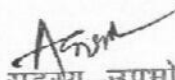
श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

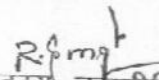
श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

- परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री वैशाखू लाल, ग्राम-जस्यारा पो०-नैनीसैण, वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 15.04.2026 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल उसकी आपूर्ति से अधिक (रुपये 41498.53) आया है जबकि परिवादी ने अपने पूर्व के सभी विद्युत बिलों का भुगतान समय-समय पर किया है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।


सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

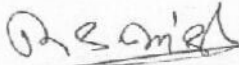
पत्रांक:- 62 / उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2026-27,

दिनांक:- 29/05/2026

- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि०वि०खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा परिवादी को साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए वाद की अग्रिम सुनवाई 25.05.2026 को सुनिश्चित की गई।
- दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी, वि०वि० उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि विपक्षी विभाग परिवादी की वर्तमान रीडिंग के अनुसार पूर्व के बिलों को संशोधित करें, एवं परिवादी संशोधित किये गये विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करें।

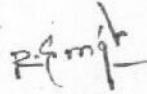
आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के मीटर की वर्तमान मीटर रीडिंग के अनुसार विवादित विद्युत बिल को संशोधित कर एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रेषित करें, एवं परिवादी विपक्षी विभाग द्वारा संशोधित किये गये विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करें। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



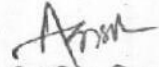
रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL